

हाई कोर्ट ने इंडियन होटल्स के खिलाफ आदेश पर रोक नहीं लगाई

जयपुर, 12 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की जय महल पैलेस होटल्स की 2.74 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर इसका उपयोग करने से जुड़े मामले में, जयपुर मेट्रो-द्वितीय कोर्टमर्शियल कोर्ट-एक के 28 मार्च 2025 के आदेश में दखल से मना कर दिया।

इसके साथ ही अदालत ने द इंडियन होटल्स कंपनी की ओर से इस आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक कुमार जैन व जस्टिस मुकेश कुमार राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।

खंडपीठ ने कहा कि कमर्शियल कोर्ट ने दोनों पक्षकारों के बीच में संतुलन स्थापित किया है और इस आदेश में किसी तरह का दखल देने की जरूरत नहीं है।

अधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया

विमान दुर्घटना की विस्तृत जाँच होगी

नयी दिल्ली, 12 जून। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि अहमदबाद में गुरुवार को हुये विमान हादसे की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच करायी जायेगी।नायडू ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद संवाददाताओं से कहा कि वे हादसे के बाद से गहरे सदमे में हैं। इस समय वे यात्रियों और उनके परिवारों के बारे में सोच रहे हैं। अभी वे हताहतों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। कई एजेंसियां बचाव और राहत कार्य में लगी हुयी हैं। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करायी जायेगी और यह पता लगाया जायेगा कि यह दुर्घटना किस वजह से हुई।नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर, दुर्घटना स्थल पर रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटनाग्रस्त विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे।

गौरतलब है कि आज दोपहर बाद अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के तत्काल बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

■ कमर्शियल कोर्ट ने ज्यादा उपयोग में ली जा रही जमीन पर 1984 से 2024की अवधि की लाइसेंस फीस के 1.52 करोड़ रुपये 90 दिन में देने का निर्देश दिया था।

की प्रार्थी, द इंडियन होटल्स की ओर से अपील में कमर्शियल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने ज्यादा उपयोग में ली जा रही जगह के बदले 2 जून 1984 से लेकर 31 मई 2024 तक की अवधि के लिए लाइसेंस फीस के तौर पर 1.52 करोड़ रुपए की राशि 90 दिन में देने का निर्देश दिया था।

वहीं एक जून 2024 से बढ़ी हुई

राशि लाइसेंस की फीस 84 लाख रुपए हर साल देना तय किया था। इसके अलावा यदि 31 मई 2029 तक प्रस्तावित मध्यस्थता की कार्यवाई का निस्तारण नहीं हो तो प्रार्थी की ओर से हर साल 6 लाख रुपए की बढ़ोतरी करते हुए लाइसेंस फीस दी जाएगी। अपील में इंडियन होटल्स का कहना था कि कमर्शियल कोर्ट ने उन्हें होटल में उनके कब्जे वाले क्षेत्र से बेदखल नहीं करने से अप्राथी को पाबंद किया है, लेकिन बिना किसी क्षेत्राधिकार से उन्हें लाइसेंस फीस के तौर पर 90 दिन में राशि जमा करवाने का निर्देश दिया है। ऐसे में कमर्शियल कोर्ट ने उन पर लाइसेंस फीस के तौर पर राशि जमा करवाने की शर्त गलत लगाई है। इसलिए कोर्ट के इन निर्देशों पर रोक लगाई जाए। तथापि हाईकोर्ट ने इन निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

वहीं एक जून 2024 से बढ़ी हुई

राशि लाइसेंस की फीस 84 लाख रुपए हर साल देना तय किया था। इसके अलावा यदि 31 मई 2029 तक प्रस्तावित मध्यस्थता की कार्यवाई का निस्तारण नहीं हो तो प्रार्थी की ओर से हर साल 6 लाख रुपए की बढ़ोतरी करते हुए लाइसेंस फीस दी जाएगी। अपील में इंडियन होटल्स का कहना था कि कमर्शियल कोर्ट ने उन्हें होटल में उनके कब्जे वाले क्षेत्र से बेदखल नहीं करने से अप्राथी को पाबंद किया है, लेकिन बिना किसी क्षेत्राधिकार से उन्हें लाइसेंस फीस के तौर पर 90 दिन में राशि जमा करवाने का निर्देश दिया है। ऐसे में कमर्शियल कोर्ट ने उन पर लाइसेंस फीस के तौर पर राशि जमा करवाने की शर्त गलत लगाई है। इसलिए कोर्ट के इन निर्देशों पर रोक लगाई जाए। तथापि हाईकोर्ट ने इन निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

वहीं एक जून 2024 से बढ़ी हुई

‘सवा लाख लीटर ईंधन था, किसी को बचाने का मौका नहीं मिला’

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डीएनए जांच के बाद मृतकों की संख्या स्पष्ट होगी

■ अमित शाह ने कहा कि 10 मिनट में भारत सरकार के पास सूचना पहुंच गई थी। भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी विभाग एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे थे।

एआई-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई। कई यात्रियों के हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है... पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, प्रधानमंत्री की ओर से हताहत हुए लोगों को प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। 10 मिनट में ही भारत सरकार के पास सूचना पहुंच गई। तुरंत ही मैंने सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री का भी

फोन आया। भारत सरकार और गुजरात

सरकार के सभी विभाग एक साथ राहत और बचाव कार्य में लगे हैं।

उन्होंने आगे कहा, इस विमान में कुल मिलाकर देश और विदेश के 230 यात्री और 12 क्रू मੈम्बर सवार थे। इसमें से एक यात्री के बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनसे मिलकर आया हूँ। मृत्यु का आंकड़ा डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद

नैनीताल, 12 जून। उत्तराखंड की

साइबर पुलिस ने पूर्व सैनिक से 1.30 करोड़ की धनराशि हड़पने के मुख्य आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। विशेष जांच दल (एसटीफ)

के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनील सिंह ने गुरुवार को बताया कि चंपावत के लोहाघाट के सेना के पूर्व जवान से साइबर ठगों ने 1.30 करोड़ की धनराशि हड़प ली। सड़बर ठगों ने पीड़ित को बताया कि उसका नाम नरेश गोयल हवाला कारोबार मामले में सामने आया है। उसके खिलाफ मुकब्व में मामला दर्ज है। आरोपियों ने पीड़ित को सीबीआई और ईडी का भय दिखा कर कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और इस दौरान पीड़ित की बैंक में जमा समस्त धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करायी जा रही जांच के नाम पर अपने विभिन्न बैंक खातों में जमा करा लिया।

टाटा समूह ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

छात्रावास भवन के पुर्निर्माण में मदद की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह इस अकल्पनीय दुख के समय में प्रभावित परिवारों और समुदायों के साथ खड़ा है। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया का संचालन टाटा समूह के हाथ में है।

अहमदाबाद विमान हादसे के शिकार ड्रीमलाइनर बोईंग 787 विमान में 230 यात्री और चालक दल के दो पायलट सहित 12 सदस्य सवार थे।

एयर इंडिया प्रसाइट 171 के

एकमात्र ज्ञात जीवित यात्री, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश के अनुसार "टेकऑफ के 30 सेकंड बाद जोर की आवाज आई और फिर विमान

तरीके से कार्य नहीं किया। यह यांत्रिक गड़बड़ा थी या जानबूझकर की गई साजिश, यह तो जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

डी.जी.सी.ए. और दुर्घटना की जांच कर चुकी इसके पहले ही अहमदाबाद पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि विमान बनाने वाली कंपनी बोईंग और अमेरिका का नैशनल टा्मोटेरेशन सेफ्टी बोर्ड (एन.टी.एस.बी.), जो सभी दुर्घटनाओं की यू.एस. सुपरवाइज़र बोर्ड है, भी इस जांच में हिस्सा लेंगे। क्वाँकि यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर है और यात्रियों के परिजनों को मुआवज़ा देने में करोड़ों डॉलर खर्च होने वाले हैं। ये मुआवज़े इस बात पर निर्भर करेंगे कि हादसे का कारण साजिश, तकनीकी गड़बड़ी या पायलट की गलती -क्या था। फिलहाल, पायलट का गलती सबसे कम संभावित कारण प्रतीत होती है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

एयर इंडिया प्रसाइट 171 के एकमात्र ज्ञात जीवित यात्री, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश के अनुसार "टेकऑफ के 30 सेकंड बाद जोर की आवाज आई और फिर विमान

मोदी ने 11 वर्ष में

कोई वादा नहीं

निभाया- राहुल

नयी दिल्ली, 12 जून। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुरुवार को सीधा हमला करते हुए हर वादा तोड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 11 वर्षों में उन्होंने देश की जनता से कई वादे किए, लेकिन कोई भी वादा निभाया नहीं।

कांग्रेस नेता ने आज कहा कि मोदी लोगों को लुभाने के लिए खूब वादे करते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं करते। वे वादा तोड़ते हैं, इसलिए उनका हर वादा जुमला साबित हो जाता है। उन्होंने देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने की बजाए, सपने तोड़कर उन्हें बेरोजगार बनाया है। गांधी ने यहां जारी बयान में कहा, प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में हर वादा तोड़ा। दो करोड़ नौकरियाँ देने का वादा, जुमला बन गया। पकौड़े तलवाए, फॉर्म भरवाए, लेकिन कोई दिशा नहीं दी। डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं, तैयारी के बाद भी भर्ती नहीं, मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं।

‘मतदाताओं के नाम व्यक्तिगत फॉर्म के आधार पर जोड़े जाते हैं’

महाराष्ट्र मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया

■ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों का निर्माण राज्यभर के 288 मतदान पंजीकरण अधिकारियों द्वारा एक लाख से अधिक मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारियों, बीएलओ के द्वारा जमीनी स्तर पर कराये गये सर्वे के आधार पर तैयार होती हैं।

नयी दिल्ली, 12 जून। महाराष्ट्र

विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों के बनाने में गड़बड़ी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए

महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी

कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि सूचियों में मतदाताओं के नाम को जोड़ने-घटाने का काम आबादी में वृद्धि के किसी अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि

व्यक्तिगत फार्म के आधार पर किया जाता है।

महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि कांग्रेस नेता गांधी ने हाल में आखबारों में लेख के माध्यम से सूचियों में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए, उनका तथ्यवार जवाब पहले दिया जा चुका था, लेकिन उन्होंने उन्हीं आरापों को दोहराया

है। बयान में कहा गया है कि जन

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और

मतदाता पंजीकरण नियमावली 1960

के अंतर्गत, मतदाता सूचियों में काटछांट

की कोई केन्द्रीय व्यवस्था नहीं हो सकती

है। कार्यालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में

मतदाता सूचियों का निर्माण राज्यभर के

288 मतदाता पंजीकरण अधिकारियों

द्वारा एक लाख से अधिक मतदान केंद्र

स्तरीय अधिकारियों-बीएलओ के द्वारा

जमीनी स्तर पर कराए गये सर्वे के आधार

पर किया जाता है। तैयार सूचियों का

मसौदा हर पार्टी को उपलब्ध कराया

जाता है, ताकि उसके आधार पर दावे और

आपत्तियां की जा सकें।

गांधी के आरोप को ग्रामक बताते

हुए राज्य निर्वाचन कार्यालय ने कहा है

कि महाराष्ट्र विधानसभा के 2019 के

विधानसभा चुनाव और 2024 के

लोकसभा चुनाव के बीच 32.25

करोड़ मतदाता शुद्धरूप से बढ़े थे। इस

दौरान 1.39 करोड़ नाम जुड़े और

मुख्यमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से परिजनों से बात की और उन्हें ढाँढ़स

बंथाया।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना की

जानकारी मिलते ही शर्मा ने मुख्यमंत्री

निवास पर प्रस्तावित सभी बैठकों सहित,

अन्य कार्यक्रम निरस्त कर दिए।

मुख्यमंत्री जयपुर में कल 13 जून को

आयोजित होने वाले योग महोत्सव में भी

शिरकत नहीं करेंगे। वहीं, शुक्रवार को

बांसवाड़ा में प्रस्तावित प्रधानमंत्री

आवास योजना (ग्रामीण) के राज्य

स्तरीय कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया

है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की

अत्यंत दुखद घटना पर भारतीय जनता

पार्टी ने प्रदेश संगठन स्तर पर अपने

कार्यक्रमों को निरस्त करने का निर्णय

लिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी

मुकेश पारीक ने बताया कि भारतीय

जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़

के निर्देशानुसार, हादसे का गंभीरता को

देखते हुए पार्टी ने 13 जून तक प्रदेश में

प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को स्थगित

कर दिया गया। याचिका में कहा गया

कि राज्य उपभोक्ता आयोग बार

एसोसिएशन की शिकायत के आधार प

जिला उपभोक्ता आयोग के पीठासीन अधिकारी को क्‍यों बर्खास्त किया?

जयपुर, 12 जून। राजस्थान

हाईकोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता

आयोग, द्वितीय के पीठासीन अधिकारी

को बर्खास्त करने से जुड़े मामले में राज्य

सरकार से जवाब मांगते हुए मामले की

सुनवाई 19 जून को तय की है।

अवकाशकालीन न्यायाधीश आनंद

शर्मा को एकलपीठ ने यह आदेश

ग्यारसी लाल मीना की याचिका पर

प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद

शर्मा ने अदालत को बताया कि

याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का

मौका दिए बर्खास्त किया गया है। राज्य

सरकार ने बर्खास्तगी आदेश जारी करने

से पूर्व याचिकाकर्ता को न तो जांच

रिपोर्ट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज

मुहैया करए और ना ही उसे सुनवाई का

मौका दिया गया। याचिका में कहा गया

कि राज्य उपभोक्ता आयोग बार

एसोसिएशन की शिकायत के आधार प

1.07 करोड़ नाम कटे थे। इस तरह 2019

के लोकसभा चुनाव और उसी

साल कराए गये विधानसभा चुनाव के

बीच 84.82 लाख नाम जुड़े और 8

लाख नाम कटे थे। इस तरह इस दौरान

सूची में 40.81 लाख नामों का इजाफा

हुआ था। इनमें से 26 लाख मतदाता 18

से 29 आयु वर्ग के थे। इस तरह 2019

के विधानसभा और 2024 के लोकसभा

के चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या

में 1.39 करोड़ की वृद्धि हुई थी जबकि

2024 के लोकसभा और विधानसभा

चुनाव के बीच 48.82 लाख नाम जुड़े

थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि

विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से

पहले कांग्रेस पार्टी या उसके प्रत्याशियों

ने सूचियों को लेकर कोई भीभर आरोप

नहीं लगाया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने

बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग

के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप

लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था।